



2026:AHC:60467

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482, बीएनएसएस संख्या

- 2024 सन् 2026

सोनी यादव और अन्यआवेदक(आवेदकों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्षकार(पक्षकारों)

आवेदक(आवेदकों) के अधिवक्ता : इंद्रजीत कुमार शुक्ला, कौशल मिश्रा

विपक्षी पक्षकार(पक्षकारों) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति, राजीव लोचन शुक्ला

- यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदकों द्वारा मामला अपराध संख्या 15 सन् 2024 भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498ए, 304बी और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4 के अन्तर्गत, थाना नोनाहारा, जिला गाजीपुर, में विचारण के लंबित रहने के दौरान अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ याचिका दायर की गई।
- इस न्यायालय ने 11.03.2026 को आवेदकों को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की थी क्योंकि विद्वान एजीए को निर्देश प्राप्त नहीं हुए थे।
- आज, जब मामले की सुनवाई हुई, तो विद्वान एजीए ने बताया कि उन्हें निर्देश प्राप्त हो गए हैं।
- आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान एजीए को सुना गया।
- आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक मृतक की विवाहित भाभी (ननद) हैं। सभी आरोपियों, जिनमें आवेदक भी शामिल हैं, पर दहेज की मांग और मृतक के उत्पीड़न के सामान्य आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मृतक की मृत्यु फांसी के कारण दम घुटने से हुई है, और यह आत्महत्या का मामला है, दहेज हत्या का नहीं। सूचनादाता और परिवार के अन्य सदस्य अन्वीक्षा के समय उपस्थित थे, और काफी देरी से, 27.01.2022 को, द0प्र0सं0 की धारा 156(3) के अन्तर्गत एक आवेदन दायर किया गया, जिसके परिणामस्वरूप दो साल बाद 29.01.2024 को प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिलिखित की गई। एक आत्महत्या नोट भी है, जिसमें आवेदकों पर किसी भी प्रकार के कुकर्म का आरोप नहीं लगाया गया है। आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. विद्वान एजीए ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि मृतक की मृत्यु विवाह के चार साल के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में हुई है। एक आत्महत्या नोट भी मिला है, जो आरोपियों की संलिप्तता को दर्शाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में दहेज की मांग और उत्पीड़न के विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं। यद्यपि, विद्वान ए.जी.ए., आवेदकों के किसी भी आपराधिक इतिहास को इंगित करने में असमर्थ रहे।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया।

9. आवेदक विवाहित देवरानी-जेठानी हैं। शव परीक्षण में मृत्यु का कारण फांसी के परिणामस्वरूप दम घुटना पाया गया है, और गले में फंदा लगने के निशान के अलावा चोट के कोई अन्य प्रत्यक्ष निशान नहीं हैं। अग्रिम जमानत के आवेदन के साथ आत्महत्या नोट दायर किया गया, और इसके अवलोकन से आवेदकों के विरुद्ध कोई आरोप नहीं पाया गया है।

10. सह-आरोपी, मिर्जा यादव और कुसुम देवी, मृतक के ससुर और सास (आवेदकों के माता-पिता), को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 20184 सन् 2024 और 18904 सन् 2024 मामले में नियमित जमानत दी गई। आवेदकों का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है, और उनका मामला सह-आरोपियों के मामले के समान है। आवेदकों को दी गई अंतरिम जमानत का उनके द्वारा दुरुपयोग किए जाने की कोई सूचना नहीं है।

11. उपरोक्त वर्णित तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मैं अभियुक्तों को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत की पुष्टि करना और उपरोक्त मामले में आवेदकों, सोनी यादव और शिल्पी यादव को दिनांक 11.3.2026 के पूर्ववर्ती आदेश में उल्लिखित शर्तों और नियमों के अनुसार अग्रिम जमानत देना उचित समझता हूँ।

12. जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

24 मार्च, 2026

ए. पांडे

(न्यायमूर्ति, राजीव लोचन शुक्ला)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"